भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2528

10 दिसंबर, 2024, को उत्तरार्थ

विषय: नीम लेपित यूरिया के आयात पर प्रतिबंध

2528. श्री बिष्णु पद राय:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने नीम लेपित यूरिया और डीएपी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, यदि हां, तो आदेश या नीतिगत निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाए;

(ख) क्या फसल उत्पादन में भारी गिरावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है, यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किसानों को अत्यधिक कीमतों पर इन उर्वरकों को बेचने की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने द्वीप क्षेत्र में इस स्थिति को लाने वालों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने दिनांक 21/01/2021 के अधिसूचना संख्या डीए/पीकेवीवाई/18-1/एलएसी/2020-21/167 के माध्यम से यह सूचित किया है कि कार निकोबार और नानकॉरी द्वीप समूह (कामोर्टा, कच्छल, टेरेसा, नांकोवरी और चौरा) में कृषि पद्धतियों के लिए सभी कृषि-रसायनों की बिक्री/उपयोग/प्रवेश/भंडारण पर एक समान प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका उद्देश्य कार निकोबार और नांकोवरी द्वीप समूह में जैविक कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त द्वीपों को कृषि रसायन मुक्त क्षेत्र घोषित करना है। अधिसूचना की प्रति **अनुबंध** में है।

(ख): रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के विकल्प के रूप में, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरक, बीज और अन्य कृषि इनपुट खरीदे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 903 किलोग्राम जैविक उर्वरक, 1619 किलोग्राम जैविक कीटनाशक और 65 मीट्रिक टन रॉक फॉस्फेट खरीदा गया है और किसानों को बिक्री के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक, विस्तार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 135 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 485 प्रदर्शन और 1936 अभियान चलाए गए हैं।

(ग) एवं (घ): अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने यह सूचित किया है कि द्वीपसमूह में कालाबाजारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।

अनुबंध

सं. 13, पोर्ट ब्लेयर, बृहस्पतिवार, 21 जनवरी, 2021

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
कृषि निदेशालय
पोर्ट ब्लेयर

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 21 जनवरी, 2021।

सं. 13/2021/एफ. सं. डीए/पीकेवीवाई/18-1/एलएसी/2020-21/167- माननीय उपराज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार और नानकॉरी द्वीप समूह (कामोर्टा, कच्छल, टेरेसा, नानकॉरी और चौरा) में कृषि प्रथाओं के लिए सभी कृषि-रसायनों की बिक्री/उपयोग/प्रवेश/भंडारण पर तत्काल प्रभाव से एक समान प्रतिबंध लगाते हैं, जिसका व्यापक उद्देश्य उपरोक्त द्वीपों को कृषि-रसायन मुक्त क्षेत्र घोषित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार निकोबार और नानकॉरी द्वीप समूह की कृषि प्रथाएं जैविक हैं। सभी हितधारकों, किसानों और कृषि इकाइयों को उपरोक्त द्वीपों में कृषि प्रथाओं के लिए केवल जैविक इनपुट का उपयोग करना चाहिए जिसमें ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट शामिल हैं।

यह मुद्दा माननीय उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनुमोदन से क्रमांक 04 दिनांक 13/01/2021 द्वारा जारी किया गया है।

एसडी/-
कृषि निदेशक
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन

******